बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना
E-mail: msssipb16@gmail.com. Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

सं0 सं0–एस0आई0पी0बी0 201700177(II) Intt. Subv   दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय-- मे0 के0 बी0 ए0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को 8 मे0 टन प्रति घंटा क्षमता का राइस मिल की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 12,29,519/– (मात्र बारह लाख उनतीस हजार पाँच सौ उन्नीस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 के0 बी0 ए0 एग्रोटेक प्रा0 लि0, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को 8 मे0 टन प्रति घंटा क्षमता का राइस मिल की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक दिनांक 20–02–2017 में स्टेज–1 का तथा दिनांक 24–04–2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम– 7 (2) (iii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय उद्योग मंत्री एवं वित्त मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2525 दिनांक 17.08.2017 द्वारा श्री आर0 के0 उपाध्याय, उप निदेशक, तक0/ एस0 आई0 पी0 बी0 प्रभारी, बिहार, पटना एवं श्री निर्मल किशोर झा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 18.01.2017 से उत्पादनरत बताया गया है, अतः ईकाई अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 30 सितम्बर, 2018 तक कुल रू0 1,23,47,344/–(एक करोड़ तेईस लाख सैंतालिस हजार तीन सौ चौवालिस रूपए मात्र) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को सातवें किस्त के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू0 12,29,519/– (मात्र बारह लाख उनतीस हजार पाँच सौ उन्नीस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन–उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं0–2060, दिनांक–11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0–5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23–2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ–2

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद पर बी० टी० सी० फार्म–25 पर की जाएगी।

9. इस राशि का भुगतान के० बी० ए० एग्रोटेक प्रा० लि०, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को उनके भारतीय स्टेट बैंक, एस० एम० ई०, डाक बंगला, पटना के खाता संख्या– 36382696538, IFSC Code SBIN0001521 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(पंकज कुमार सिंह)
उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

सं० सं०–एस०आई०पी०बी० 201700177(II) Intt. Subv. दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

सं० सं०–एस०आई०पी०बी० 201700177(II) Intt. Subv. दिनांक–

प्रतिलिपिः वित्त विभाग,बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

सं० सं०–एस०आई०पी०बी० 201700177(II) Intt. Subv. 1219 दिनांक– 28.2.19

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, मेसर्स के० बी० ए० एग्रोटेक प्रा० लि०, मोहम्मदचक, जगदीशपुर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
–सह–
सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

Jai Kishore SO-2